

सं0सं0-16/ए.3-14/2016

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

नागेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

डॉ० चन्द्रभूषण सिंह,
व्याख्याता, रसशास्त्र विभाग,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना

पटना/दिनांक-

विषय- दिनांक 30.03.2017 से 08.04.2017 तक विदेश (लंदन) भ्रमण करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपका आवेदन पत्रांक 1/17 दिनांक 02.01.2017 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक 30.03.2017 से 08.04.2017 तक विदेश (लंदन) भ्रमण करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. अवकाश की अवधि विस्तार नहीं करेंगे।
2. प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
3. यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
5. प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं करेंगे।
6. प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 172 (कॉ.प्र.)

पटना, दिनांक-13.02.2017

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
13/2/17
813104